अध्याय I

परिचय

1.1 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

यह प्रतिवेदन भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) के वित्तीय लेन-देनों और आई ए एफ से संबंधित निम्नलिखित संगठनों के संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्भूत विषयों से संबंधित है: -

- रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)
- आई ए एफ के साथ कार्य करने वाला रक्षा लेखा विभाग
- आई ए एफ के साथ कार्य करने वाली सैन्य अभियांत्रिक सेवाएँ (एम ई एस)
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) तथा उसकी मुख्यतः आई ए एफ से संबंधित प्रयोगशालाएँ
- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

भारतीय वायुसेना अक्तूबर 1932 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य, हवाई युद्ध क्षेत्र में वायुसेना अधिनियम 1950 द्वारा, "भारत तथा उसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा, सुरक्षा की तैयारी समेत वे सभी कार्य जो युद्ध के समय, इसके अभियोजन तथा इसके समाप्ति के उपरांत इसके प्रभावी सैन्य वियोजन" के रूप में परिभाषित किया गया है।

इसकी अगुआई वायुसेना प्रमुख द्वारा की जाती है। आई ए एफ का समग्र प्रशासनिक, परिचालनात्मक, वित्तीय, तकनीकी अनुरक्षण तथा नियंत्रण वायुसेना मुख्यालय के पास है। भारतीय वायुसेना की सात कमान हैं, जिसमें से पाँच प्रचालनात्मक तथा दो कार्यात्मक कमान (एक प्रशिक्षण कमान तथा एक अनुरक्षण कमान) हैं। आई ए एफ की प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण इकाईयों में सामान्यतः विंग एवं स्क्वाड्रन, संकेतक इकाईयाँ, बेस मरम्मत डिपो तथा उपकरण डिपो शामिल है।

रक्षा लेखा विभाग जिसकी अगुआई रक्षा लेखा महानियंत्रक करते हैं, रक्षा सेवाओं के व्यय तथा प्राप्तियों के साथ ही साथ रक्षा पेंशन के लेखांकन हेतु उत्तरदायी हैं, और वित्तीय परामर्श के संबंध में सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

सैन्य अभियांत्रिक सेवाएँ (एम ई एस) आई ए एफ सहित सैन्य सेवाओं को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करती हैं। यह लगभग ₹9,000 करोड़ के वार्षिक बजट के साथ सबसे बड़ी सरकारी निर्माण एजेंसियों में से एक है। इंजीनियर-इन-चीफ, एम ई एस के मुखिया होते हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) सैन्य सेवाओं द्वारा व्यक्त की गई आवश्यकताओं तथा गुणात्मक अपेक्षाओं के अनुसार शस्त्र प्रणालियों तथा उपकरणों का डिजाईन तथा विकास करता है। इसकी 52 प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें से नौ सामान्यतः वायुसेना को सेवाएं प्रदान करती हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कम्पनी है जो वायुयानों, हेलिकॉप्टरों, एयरो इंजनों, वैमानिकी तथा नौसंचालन प्रणाली उपकरण के डिजाईन, विकास, निर्माण, उन्नयन, मरम्मत तथा ओवरहॉल तथा सैन्य एवं नागरिक दोनों उपयोग हेतु समुद्री तथा औद्योगिक गैस टर्बाइन इंजनों में कार्यरत है। एच ए एल का प्रबंधन, निदेशक मंडल के पास होता है, जिसकी अगुआई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं जिनकी सहायता हेतु कार्यात्मक निदेशक (चार), सरकारी निदेशक (दो) तथा स्वतंत्र निदेशक (सात) हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शाक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा लेखापरीक्षा और लेखा के विनियम 2007, लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा की विस्तृत कार्यप्रणाली तथा प्रतिवेदन हेतु प्राधिकार देते हैं।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायुसेना [पी डी ए (ए एफ)], नई दिल्ली, अपने दो शाखा कार्यालय बैंगलूरू तथा देहरादून सहित, वायुसेना तथा अन्य संबंधित संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

1.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा की प्राथमिकता जोखिमों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन द्वारा तय होती है, ताकि महत्त्वपूर्ण प्रचालन इकाईयों की अत्याधिक महत्ता निर्धारित की जा सके। किया गया व्यय, परिचालनात्मक महत्वपूर्णता, पिछले लेखापरीक्षा परिणाम तथा आंतरिक नियंत्रण की क्षमता

मुख्य तथ्यों में आते हैं, जो जोखिमों की गंभीरता निर्धारित करते है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा करने हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

किसी एंटिटी/इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरण के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा की जा रही इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप या तो लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान किया जाता है या आगामी लेखापरीक्षा चक्र में अनुपालन हेतु संदर्भित किया जाता है। गंभीर अनियमितताओं को ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु कार्यवाही की जाती है, जो कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षाएं ढाँचागत अभ्यास के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने, एंट्री कांफ्रेंस करने, इकाईयों की सैंपलिंग, एग्जीट कांफ्रेंस, नमूना प्रतिवेदन पर फीडबैक का समावेशन तथा अंतिम प्रतिवेदन को जारी करने से की जाती हैं।

1.4 रक्षा बजट

रक्षा सेवाओं के लिए बजट आवंटन में, एम ओ डी की छः अनुदान माँग, अर्थात माँग सं. 22 से 27, शामिल हैं तथा इन अनुदान माँगों के तहत सकल-व्यय प्रावधान हेतु संसद का अनुमोदन लिया जाता है। इन माँगों में से, पाँच माँग (माँग सं. 22 से 26) राजस्व व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिसमें वेतन एवं भत्ते, भंडार, यातायात तथा राजस्व कार्य, इत्यादि, शामिल है, जबकि छठी माँग (माँग सं. 27), 'रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय', नए वायुयान तथा एयरो-इंजनों की प्राप्ति, शस्त्र व गोला-बारूद, सेवाओं का आधुनिकीकरण, पुराने भंडारों का प्रतिस्थापन, निर्माण कार्य, तथा सभी सेवाओं हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों की प्राप्ति पर होने वाले व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

वायुसेना का राजस्व व्यय 'अनुदान सं. 24 रक्षा सेवाएँ-वायुसेना' से तथा पूँजीगत व्यय 'अनुदान सं. 27, रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप-प्रमुख शीर्ष 03-वायुसेना' से किया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए रक्षा व्यय में आई ए एफ का अंश निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.1 : रक्षा व्यय के विवरण तथा वास्तविक व्यय में आई ए एफ का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक रक्षा व्यय	आई ए एफ पर वास्तविक व्यय	कुल रक्षा व्यय में आई ए एफ का अंश (प्रतिशत में)
2010-11	1,56,127	1,58,723	38,782	24
2011-12	1,78,891	1,75,898	46,134	26
2012-13	1,98,526	1,87,469	51,118	27
2013-14	2,17,649	2,09,789	58,745	28
2014-15	2,54,000	2,37,394	55,481	23

स्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्षानुसार विनियोजन लेखे

2013-14 के दौरान आई ए एफ का व्यय ₹58,745 करोड़ था, जो 2014-15 के दौरान ₹55,481 करोड़ तक घट गया था। अतः, जब कुल रक्षा व्यय 13 प्रतिशत से बढ़ गया, तब कुल रक्षा व्यय में आई ए एफ का अंश विगत वर्ष 2013-14 से पाँच प्रतिशत घट गया था।

1.5 भारतीय वायुसेना का बजट एवं व्यय

वायुसेना के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान विनियोजन तथा व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई तालिका मे प्रदर्शित है:

तालिका 1.2 : आई ए एफ का विनियोजन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अंतिम अनुदान	पूँजीगत	23,565	28,305	32,735	38,679	26,536
	राजस्व	15,805	16,757	18,329	19,983	23,186
	कुल	**39,370**	**45,062**	**51,064**	**58,662**	**49,722**
आई ए एफ का वास्तविक व्यय	पूँजीगत (प्रतिशत)	23,603 (60.86)	28,812 (62.45)	32,980 (64.52)	38,585 (65.68)	32,796 (59.11)
	राजस्व (प्रतिशत)	15,179 (39.14)	17,322 (37.55)	18,138 (35.48)	20,160 (34.32)	22,685 (40.89)
	कुल	**38,782**	**46,134**	**51,118**	**58,745**	**55,481**
अधिकता (+) / बचत (–)	पूँजीगत	(+)38	(+)507	(+)245	(–)94	(+)6260
	राजस्व	(–)626	(+)565	(–)191	(+)177	(–)501
	कुल	**(–)588**	**(+)1072**	**(+)54**	**(+)83**	**(+)5759**

स्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्षानुसार विनियोजन लेखे

प्रत्येक वर्ष के रक्षा सेवाओं के विनियोजन लेखे का विश्लेषण, संबंधित वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार-संघ सरकार के लेखे (वित्तीय लेखापरीक्षा) के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया था।

1.5.1 पूंजीगत व्यय

जैसा कि तालिका 1.2 मे दर्शाया गया है, आई ए एफ अपने कुल व्यय का 60 से 65 प्रतिशत पूँजी पर खर्च कर रहा है। आई ए एफ का पूँजीगत व्यय मुख्यतः नए वायुयानों की खरीद तथा विद्यमान वायुयान बेड़े के आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन पर हुआ। आई ए एफ के विगत पाँच वर्षों (2010-11 से 2014-15) के लिए पूँजीगत व्यय की विभिन्न श्रेणियों में व्यय का वितरण, निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका 1.3 : आई ए एफ के पूँजीगत व्यय के घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वायुयान/एयरों इंजन (प्रतिशत)	16,094 (68.11)	20,274 (70.37)	23,573 (71.48)	29,069 (75.40)	22,558 (68.78)
भारी एवं मध्यम वाहन	26	73	81	59	33
अन्य उपकरण (प्रतिशत)	6,039 (25.58)	6,788 (23.56)	7,399 (22.43)	7,761 (20.11)	8,219 (25.06)
विशिष्ट परियोजनाएँ	230	521	587	348	343
निर्माण कार्य (प्रतिशत)	1,158 (4.91)	1,153 (4.00)	1,318 (3.99)	1,304 (3.38)	1,637 (4.99)
भूमि	56	3	22	44	6
कुल	**23,603**	**28,812**	**32,980**	**38,585**	**32,796**

स्रोतः रक्षा सेवाओं के वर्षानुसार विनियोजन लेखे

पूँजीगत व्यय वायुयान/एयरोइंजन के अधिग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण था तथा कुल पूँजीगत व्यय का 68.11 एवं 75.40 प्रतिशत के मध्य था; जबकि 'अन्य उपकरण' हेतु 20.11 तथा 25.58 प्रतिशत के मध्य था तथा 'निर्माण कार्य' पर आई ए एफ के कुल

पूँजीगत व्यय का 3.38 से 4.99 प्रतिशत था। एक लघु अंश वाहनों, विशेष परियोजनाओं तथा भूमि पर खर्च किया जा रहा था।

विगत तीन वर्षों के लिए अधिप्राप्ति के स्रोत के संदर्भ में, पूँजीगत व्यय का विस्तार से विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.4: आई ए एफ के पूँजीगत व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वदेशीय			आयात (प्रतिशत)	निर्माण कार्य	कुल
	पी एस यू (प्रतिशत)	व्यापार (प्रतिशत)	कुल स्वदेशी (प्रतिशत)			
2012-13	9033 (27.39)	2799 (8.49)	11832 (35.88)	19221 (58.28)	1927 (5.84)	**32,980**
2013-14	15370 (39.83)	591 (1.53)	15961 (41.36)	20928 (54.24)	1696 (4.4)	**38,585**
2014-15	15114 (46.08)	1040 (3.17)	16154 (49.25)	14656 (44.69)	1988 (6.06)	**32,796**

स्रोतः निदेशालय वित्तीय योजना, वायुसेना मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना

कुल स्वदेशीय पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई थी, जो कि मुख्यतया पी एस यू के संबंध में पूँजीगत व्यय को बुक करने से थी, जो वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान 67 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

1.5.2 राजस्व व्यय

आई ए एफ का राजस्व व्यय मुख्यतया वेतन एवं भत्तों, भंड़ारों तथा विशेष परियोजनाओं पर किया गया। विगत पाँच वर्षों के लिए राजस्व व्यय की विभिन्न श्रेणियों पर व्यय का वितरण नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित है:-

तालिका 1.5: आई ए एफ के राजस्व व्यय के घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष - 101, 102 तथा 104)	6,856 (45%)	7,532 (44%)	8,378 (46%)	9,464 (47%)	10,533 (46%)
भंड़ार तथा विशेष परियोजना (लघु शीर्ष -110, 200)	5,775 (38%)	6,931 (40%)	7,038 (39%)	7,779 (39%)	8813 (39%)
निर्माण कार्य (लघु शीर्ष - 111)	1,692 (11%)	1,800 (10%)	1,775 (10%)	1,912 (9%)	2,124 (9%)
परिवहन (लघु शीर्ष - 105)	620 (4%)	763 (4%)	611 (3%)	661 (3%)	761 (3%)
अन्य (लघु शीर्ष - 800)	236 (2%)	296 (2%)	336 (2%)	344 (2%)	455 (2%)
कुल	**15,179**	**17,322**	**18,138**	**20,160**	**22,685**

स्रोत: रक्षा सेवाओं के वर्षानुसार विनियोजन लेखे

आई ए एफ का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹15,179 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹22,685 करोड़ हो गया, जो कि विगत पाँच वर्षों के दौरान 49 प्रतिशत से बढ़ा। आई ए एफ के कुल राजस्व व्यय का लगभग 44 से 47 प्रतिशत वेतन एवं भत्ते के लिए, 38 से 40 प्रतिशत भंडारों एवं विशेष परियोजनाओं के लिए, नौ से 11 प्रतिशत निर्माण कार्यों के लिए, तीन से चार प्रतिशत परिवहन के लिए तथा शेष दो प्रतिशत 'अन्य' श्रेणी हेतु था।

1.5.3 वर्ष के दौरान आई ए एफ के व्यय का प्रवाह

2014-15 के दौरान पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का प्रवाह नीचे प्रदर्शित है:

चित्र 1.1: 2014-15 के दौरान आई ए एफ के व्यय का प्रवाह

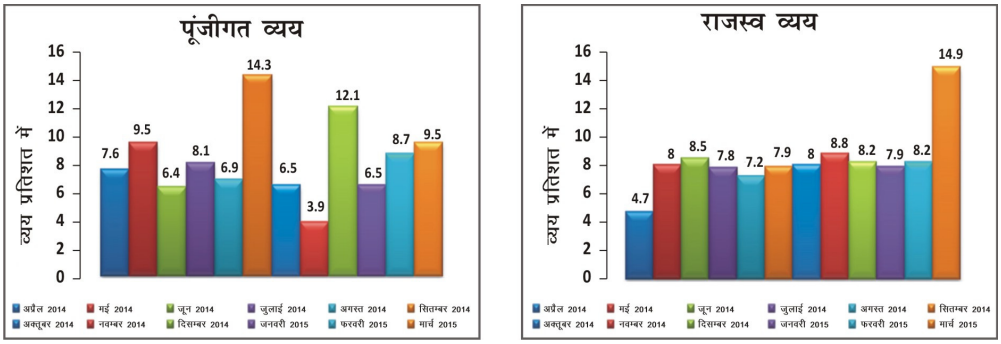

स्रोतः एम ओ डी वित्त (बजट) द्वारा दी गई सूचना

आई ए एफ का राजस्व व्यय, मार्च 2015 एवं वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए, कुल वार्षिक राजस्व व्यय का क्रमशः 14.9 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय के लिए, मार्च 2015 एवं अंतिम तिमाही के लिए, यह क्रमशः 9.5 प्रतिशत तथा 24.7 प्रतिशत था। जैसा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित है, ये वर्ष-समाप्ति व्यय 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत की उचित सीमा के भीतर थे।

1.5.4 भारतीय वायुसेना की राजस्व प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ, भुगतान पर जारी भंडारों, इमारतों एवं फर्नीचर के किराए, जमीनों, इमारतों की बिक्री से प्राप्ति, इत्यादि, घोषित आधिक्य, अन्य सरकारी विभागों को दिए गए उधार पर सेवाओं तथा अन्य विविध प्राप्ति के कारण वसूलियों को प्रदर्शित करती हैं।

पाँच वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना से संबंधित प्राप्तियों का विवरण, नीचे तालिका में दिए गए है:-

तालिका 1.6: आई ए एफ की राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्णन	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निर्माण कार्यों से प्राप्तियाँ	58	64	75	80	88
सेवाओं तथा आपूर्तियों से प्राप्तियां	106	108	90	104	149
भंडार	127	37	67	45	19
अन्य प्राप्तियाँ	337	340	377	838	473
कुल प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ	**628**	**549**	**609**	**1067**	**729**

स्रोतः एम ओ डी वित्त (बजट) द्वारा दी गई सूचना

आई ए एफ की राजस्व प्राप्तियों का महत्त्वपूर्ण भाग (53.6 से 78.5 प्रतिशत) 'अन्य प्राप्तियों' के तहत वर्गीकृत था।

1.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

1.6.1 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की अनुशंसाओं पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के लिए अपने उत्तर छः सप्ताहों के भीतर भेजने के लिए, जून 1960 में निदेश जारी किये थे।

इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफ, सचिव, रक्षा मंत्रालय को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से उनका ध्यान लेखापरीक्षा जाँच परिणाम की ओर आकर्षित करने के लिए तथा समयावधि के भीतर प्रतिक्रिया देने के अनुरोध के साथ, जारी किए गए थे।

वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के बावजूद, इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 12 पैराग्राफों में से चार पैराग्राफों पर रक्षा मंत्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थें। अतः इन पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय के उत्तर शामिल नहीं किए जा सके।

1.6.2 पिछले प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियां (ए टी एन)

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने हेतु पी ए सी ने इच्छा व्यक्त की, कि 31 मार्च 1996 और उसके बाद समाप्त होने वाले वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित सभी पैराग्राफों पर संसद में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर की गई कार्यवाही टिप्पणी, लेखापरीक्षा द्वारा जाँच कराकर, उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए। ए टी एन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1.7: ए टी एन की स्थिति

(31 मार्च 2016 को)

ए टी एन की स्थिति	आई ए एफ
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर मंत्रालय द्वारा एक बार भी ए टी एन प्रस्तुत नहीं किए गए है	12
लेखापरीक्षा पैराग्राफ/प्रतिवेदन जिन पर संशोधित ए टी एन प्रतीक्षित हैं	21

1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेप किए जाने के उपरांत ₹11.20 करोड़ की राशि वसूली गई थी। तीन मामले निम्न प्रकार से विवेचित है:

ए) एच ए एल से असमायोजित अग्रिम तथा ब्याज (₹771.41 लाख) की वसूली:- कर्मीदल रहित वायु वाहन (यू ए वी) सिस्टमों के डिपो स्तरीय अनुरक्षण हेतु भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) को दिसम्बर 2002 में एक आर्डर दिया गया। कार्य में एच ए एल के हैदराबाद, कानपुर तथा कोरवा स्थित तीन विभिन्न डिवीजन सम्मिलित थे।

यद्यपि एच ए एल के तीन विभिन्न डिवीजनों को भुगतान निबन्धन और शर्तों के अनुसार अग्रिम राशि का भुगतान किया जाना था, रक्षा लेखा नियंत्रक (सी डी ए), आर के पुरम, नई दिल्ली ने ₹912.13 लाख के प्रथम चरण अग्रिम का पूरा भुगतान एच ए एल, हैदराबाद डिविजन को किया (जनवरी 2003)। छः वर्षों के अंतराल के उपरांत बाद के भुगतानों हेतु

भुगतान प्राधिकार परिवर्तन हेतु आदेश में एक संशोधन जारी किया गया (जनवरी 2008)। यह संशोधन अनुबंद्धित करता था कि आगे के भुगतान संबद्ध एच ए एल डिवीजन से जुड़े हुए लेखा अधिकारी, रक्षा लेखा विभाग [ए ओ (डी ए डी)] द्वारा किए जाएँगें।

ए ओ (डी ए डी) एच ए एल हैदराबाद, की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया (सितम्बर 2009) कि भुगतान किया गया अग्रिम ₹623.26 लाख की सीमा तक दो डिवीजनों अर्थात् एच ए एल हैदराबाद (₹356.36 लाख) एवं एच ए एल कानपुर (₹266.90 लाख) के लिए समायोजित किया जा चुका था । एच ए एल कोरवा के संबंध में लेखापरीक्षा ने बकाया वसूली (₹288.87 लाख) को भी उठाया क्योंकि कार्य न तो जल्दी बंद हुआ था और न ही अगले वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।

लेखापरीक्षा, जनवरी 2003 से ₹288.87 लाख के असमायोजित अग्रिम पर ब्याज की वसूली के लिए जिससे कि आई ए एफ को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ, सी डी ए, आर के पुरम, नई दिल्ली/रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पी सी डी ए) बैंगलूरू/वायुसेना मुख्यालय के साथ प्रयासरत (फरवरी 2014) रहा।

उत्तर में, पी सी डी ए, बैंगलूरू ने बताया (अप्रैल 2014) कि संबंधित ए ओ (डी ए डी) बकाया भुगतान से अवगत नहीं था, यद्यपि ₹288.87 लाख की शेष राशि एच ए एल से वसूल (फरवरी 2010) की गई।

मई 2015 में पी सी डी ए, बैगलूरू ने, संबंधित ए ओ (डी ए डी) के माध्यम से असमायोजित अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹482.52 लाख की वसूली की सूचना लेखापरीक्षा को दी।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अग्रिम के ₹288.8 लाख तथा असमायोजित अग्रिम पर ब्याज के रूप में ₹482.52 लाख की वसूली की गई।

बी) मिराज 2000 पुर्जों की लंबित आपूर्ति (₹9.09 लाख) के लिए परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) की वसूलीः- वायुसेना मुख्यालय ने यूरो 2380478 (₹14.10 करोड़) की कुल लागत पर मिराज 2000 वायुयान हेतु पुर्जों की चार लाईनों की आपूर्ति के लिए मैसर्स थेल्स सिस्टम एयरोपोर्ट्स, फ्रांस को आपूर्ति आदेश दिया (दिसम्बर 2007) तथा इन पुर्जों की आपूर्ति, अग्रिम भुगतान की तिथि से छः से अठारह महीने की अग्रणी अवधि में की जानी थी।

आपूर्ति आदेश की शर्त अनुसार, 15 प्रतिशत अग्रिम के बराबर यूरो 357071.70 राशि का वायुसेना मुख्यालय द्वारा दिया गया (मार्च 2008) जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2008 तथा सितम्बर 2009 के मध्य, पुर्जों की चार लाईनों की आपूर्ति की जानी थी।

तथापि, पुर्जों की तीन लाईनों की सुपुर्दगी के उपरांत, विक्रेता ने पुर्जों की शेष एक लाईन (पी यू 1-कॉफर्ट ट्रैटमेण्ट) की आपूर्ति हेतु साख-पत्र (एल सी) के 20 फरवरी 2010 तक आगे बढ़ाने के लिए वायुसेना मुख्यालय से अनुरोध किया। रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने एल सी का विस्तार, शर्तों के साथ अनुमोदित किया कि एल सी विस्तार का खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा होगा तथा एल डी आपूर्ति आदेश के अनुसार लिया जाएगा (फरवरी 2010)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2011) कि विक्रेता ने पुर्जे की शेष एक लाईन की सुपुर्दगी की थी (दिसंबर 2009) तथा यूरो 913296.95 की अंतिम राशि का दावा किया था जिसका भुगतान सुपुर्दगी में विलंब हेतु यूरो 10745 की एल डी राशि घटाए बिना बैंक द्वारा किया गया (मार्च 2010)।

लेखापरीक्षा जांच के उत्तर में, वायुसेना मुख्यालय ने बताया (अगस्त 2011) कि एल डी की वसूली में विसंगति थी तथा इसकी वसूली हेतु पी सी डी ए एवं बैंक प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जा चुका है तथा लेखापरीक्षा को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

वायुसेना मुख्यालय ने लेखापरीक्षा को आगे सूचित किया (सिंतबर 2015) कि विदेशी फर्म ने एल डी के कारण यूरो 10740 (₹ 9.09 लाख) की राशि का भुगतान कर दिया था।

सी) वायुसेना (ए एफ) विद्यालयों से किराए तथा संबद्ध शुल्कों की वसूली (₹339.15 लाख) :- भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 1993 में 1955 से 1993 तक रक्षा भूमि पर खुले इकाई संचालित विद्यालयों को नियमित किया। इन विद्यालयों को खुलने की तिथि से नियमितिकरण तक किराए एवं सहायक शुल्कों के भुगतान से छूट प्राप्त थी। दिसम्बर 1998 में, वायुसेना मुख्यालय ने समस्त कमानों को निर्देशित किया कि मंत्रालय 1993 तक किराए तथा सहायक शुल्कों के एक बार अधित्याग हेतु सहमत है। तथा आगे बताया गया कि मंत्रालय के निर्णयानुसार वायुसेना विद्यालयों को भी रक्षा इमारतों के लिए शुल्कों का भुगतान करना चाहिए जैसे थलसेना तथा नौसेना के इकाई चालित विद्यालयों द्वारा किया जा रहा था।

वायुसेना स्टेशन, पुणे (मार्च 2013) तथा एच क्यू टी सी इकाई (अगस्त 2012) में राजस्व अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि वायुसेना विद्यालय, पुणे तथा वायुसेना विद्यालय, हेब्बल ने न तो कोई किराये एवं सहायक शुल्कों का भुगतान किया था और न ही निर्देश दिए जाने के बावजूद जनवरी 1994 के आगे से बकाया किराया तथा संबद्ध शुल्क जमा किए थे।

अधिकारियों के एक मंडल (बी ओ ओ) ने दिसंबर 2014 में किराए व संबद्ध शुल्कों को जमा करने हेतु मूल्यांकन व अनुशंसा की तथा ए एफ विद्यालय, पुणे द्वारा ₹28.71 लाख लौटाए गए (फरवरी तथा सितम्बर 2015)। वायुसेना विद्यालय, हेब्बल के संबंध में, अगस्त 2015 में बी ओ ओ ने वायुसेना विद्यालय, हेब्बल द्वारा अधिकृत रक्षा इमारतों हेतु किराए तथा 1994 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए जल तथा विद्युत शुल्कों की वसूली हेतु मूल्यांकन व अनुशंसा की। अक्तूबर 2015 में ₹306.45 लाख की राशि वायुसेना विद्यालय, हेब्बल द्वारा सरकारी खाते में लौटाई गई। इसके अतिरिक्त विद्यालय, जल तथा विद्युत के वास्तविक शुल्क के अतिरिक्त किराए के रूप में ₹13.47 लाख वार्षिक का भुगतान करना जारी रखेगा।

अपने उत्तर (मार्च तथा अप्रैल 2016) में मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया।